UPRB010041112026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, रायबरेली।
उपस्थितः– गुणेन्द्र प्रकाश (एच०जे०एस०)
प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1781/2026

1. सचिन पटेल पुत्र श्याम लाल पटेल, निवासी ग्राम मधवापुर, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली।

2. शिव पटेल पुत्र शिव कुमार, निवासी ग्राम मायेमऊ, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली।

---- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली।

---- अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–90/2026
अन्तर्गत धारा– 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम) 1986,
थाना जगतपुर, जनपद रायबरेली।

दिनांक–29.06.2026

यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्तगण सचिन पटेल व शिव पटेल की ओर से मु०अ०सं०– 90/2026, अन्तर्गत धारा– 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तगण सचिन पटेल व शिव पटेल द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त सचिन पटेल लाइट टेन्ट का व्यावसाय करता है व शिव पटेल भट्ठे पर मजदूरी करता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण साधारण किस्म के शांतप्रिय

व्यक्ति हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी, भ्रामक एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार सोच समझ कर गुडवर्क प्राप्त करने की नियत से दर्ज करायी गयी है, जो स्वंय असत्य है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नाम अभियुक्त सुभाष उर्फ शुभम् पटेल पुत्र स्व० जगदीश निवासी ग्राम बालेपुर पोस्ट सनही थाना भदोखर जिला रायबरेली को नामित करते हुए वादी मुकदमा द्वारा कथित अपराध में दिनांक 13.06.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है जबकि कथित अभियुक्त सुभाष उर्फ शुभम् पटेल की मृत्यु दिनांक 19.02.2026 को हो चुकी है, इस तथ्य से पूर्णतया स्पष्ट होता है कि कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी सही जानकारी के दर्ज करायी गयी है। जिसमें उच्चअधिकारी पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी महोदय रायबरेली द्वारा भी बिना किसी सम्यक् जॉच पड़लात के सरसरी तौर पर वादी मुकदमा व पुलिस कर्मचारी/अधिकारी के द्वारा सांठगांठ करके फर्जी तरीके से संस्तुति/अनुमोदन करते हुए फर्जी गैंगचार्ट गैर कानूनी ढंग से तैयार करके अभियुक्तों को उनके घरों से जबरन उठा करके हैरान–परेशान करने की नियत से मारपीट करके कथित अपराध में फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को थाना जगतपुर की पुलिस द्वारा रात्रि में प्रार्थी/अभियुक्तगण के घर पर दबिश देते अभियुक्तगण व उनके परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट करके जबरन घर से अभियुक्तगण को पकड़ ले गयी जिसका वीडियों भी अभियुक्तगण के परिजनों के पास मौजूद है। पुलिस द्वारा अवैधानिक तरीके से माननीय मानवाधिकार आयोग व मा० उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लघंन करते हुए गैर कानूनी ढंग से कथित अपराध में फर्जी तरीके से फर्जी गिरफ्तारी व गैंगचार्ट तैयार करके मुकदमें में फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का किसी प्रकार का कोई संगठित गिरोह नहीं है और ना हीं प्रार्थी/अभियुक्तगण से समाज में किसी प्रकार का भय व्याप्त है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को स्थानीय पुलिस से गाँव के कुछ अराजक तत्वों द्वारा मिलकर चुनावी रंजिशवस अदा करने की नियत से फर्जी ढंग से फंसवा दिया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है, मात्र दो मुकदमें जो कथित अपराध में दर्शाये गये दोनों मुकदमें एक ही दिनांक की घटना व एक ही फर्द बरामदगी में सभी अभियुक्तगणों को वांछित करते हुए फर्जी तरीके से तत्कालीन पुलिस अधिकारियों द्वारा झूठा फंसा दिया गया था, मात्र इन्हीं दोनों मुकदमों के आधार पर कथित फर्जी गैंगचार्ट तैयार करके सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कथित मुकदमें में बिना किसी जांच पड़ताल के अनुमोदन गलत तरीके से कराकर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही असंवैधानिक तरीके से की गयी है जो पूर्णतया विधि–विधान के प्रतिकूल है जिसमें प्रार्थी/अभियुक्तगण को फर्जी फंसाया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्णतया निर्दोष हैं। प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना है इसके अलावां किसी अन्य जनपद न्यायालय एवं मान० उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है न ही विचाराधीन है न स्वीकृत किया गया है न ही निरस्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 14.06.2026 से जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध हैं। वाद उपरोक्त मे प्रार्थी/अभियुक्तगण अपनी स्थानीय एवं विश्वसनीय जमानतें देने को तैयार है जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी भी प्रकार से जमानत दुरूपयोग नहीं करेंगे एवं मान० न्यायालय के सभी आदेशों का अनुपालन करेगे एवं विचारण में सहयोग करेंगे। अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण की जमानतें स्वीकार करके दौरान मुकदमा जमानत/मुचलके पर रिहा किये जाने हेतु समुचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

उक्त जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गैंग के सदस्य हैं, वे स्वयं के एवं गैंग के अन्य सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गंभीर अपराध कारित करते हैं, जिनके विरूद्ध आपराधिक वाद दर्ज है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) को सुना तथा उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गैंगचार्ट में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गैंग का सदस्य होना दर्शित किया गया है। अभियुक्तगण पर यह अभियोग है कि उनका एक संगठित गिरोह है, जिसके वे सक्रिय सदस्य हैं तथा वे अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर चोरी करने जैसा गंभीर अपराध कारित किये हैं। अभियुक्तगण अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर उक्त अपराध को करके लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप करने में संलिप्त रहे हैं। प्रस्तुत मामले में सहअभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जा चुके हैं। अभियुक्तगण की ओर से उन्हें आधार मुकदमें में रंजिशन व झूंठा फंसाये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया है, किंतु संगठित अपराध के मामलों में सभी अभियुक्तगण की समान भागीदारी व जिम्मेदारी नहीं होती है, अलग-अलग अभियुक्त की अलग-अलग कृत्य करने की भागीदारी व जिम्मेदारी होती है। अभियुक्तगण की ओर से जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, उनके संदर्भ में साक्ष्य आने के उपरांत ही सूक्ष्म विश्लेषण कर निष्कर्ष दिया जा सकता है। जमानत के स्तर पर सूक्ष्म विश्लेषण कर निष्कर्ष दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध समाज विरोधी होने के कारण गंभीर प्रकृति का है।

अतः मैं इस स्तर पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाता हूँ। तदनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सचिन पटेल व शिव पटेल का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **सचिन पटेल पुत्र श्याम लाल पटेल व शिव पटेल पुत्र शिव कुमार** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या– 90/2026, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली के मामले में प्रस्तुत **प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र** आधार पर्याप्त न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(गुणेन्द्र प्रकाश)
अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, रायबरेली।
(JO CODE–UP6443)

Digitally signed by Gunandra Prakash
Date: 2026.07.01 11:31:04 IST
Reason: Bail Order
Location: District and Sessions Court, Raebareli